सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 18.11.2024

अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 04 चोरों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की गयी 02 समर सेबिल (पम्प), 12 बन्डल बिजली का तार (चोरी किया हुआ) एवं परिवहन में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन में **थाना बकेवर पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी लल्लन सिंह पुत्र गयाप्रसाद निवासी महेवा थाना बकेवर द्वारा थाना बकेवर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि उसके खेत पर लगे ट्यूबेल की समर सेबिल अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में चोरी कर ली गयी है। सूचना पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 356/2024 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

वादी राहुल शुक्ला पुत्र प्रवेश कुमार शुक्ला निवासी नेहर कोठी के सामने मन्दिर महेवा थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि वादी के प्लाट से अज्ञात चोरों द्वारा समर सेबिल चोरी कर ली गयी है। सूचना पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 357/2024 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

इसी के क्रम में वीरेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर सूचना दी गयी कि विद्युत उपकेन्द्र भरथना से चकरनगर जाने वाली लाइन में अज्ञात चोरों द्वारा बिजली के तार चोरी कर लिये हैं जिससे वह लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी है। सूचना पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 358/2024 धारा 303(2)/324(3) बीएनएस पंजीकृत** किया गया है।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 17/18.11.2024 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस द्वारा खितौरा तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान 01 पिकअप आती दिखायी दी जिसे रूकने का इशारा किया गया तो चालक द्वारा पिकअप लेकर भागने का प्रयास किया गया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये **01 पिकअप को कुल 04 व्यक्तियों सहित खितौरा तिराहे से समय 04.20 बजे** गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ-

पकडे गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये पिकअप की तलाशी ली गयी तो पिकअप के अन्दर से 02 समर सेबिल व 12 बन्डल बिजली का तार बरामद किया गया जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने मिलकर यह समर सेबिल थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत महेवा से ट्यूबेल व मन्दिर के पास से चोरी की थी तथा बरामद बिजली के तार के सम्बन्ध में बताया कि हम लोगों ने यह तार भरथना से चकरनगर जाने वाली बिजली की लाइन से चोरी किया था।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में **थाना बकेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 356/2024, 357/2024 तथा 358/2024 में धारा 317(1) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गयी।

तथा परिवहन में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अंकित पुत्र विनोद दोहरे निवासी लाखी थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र 19 वर्ष।**
2. मोहित पुत्र वृन्दावन दोहरे निवासी नया नगला थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र 18 वर्ष।**
3. शनि पुत्र सुधीर दोहरे निवासी नया नगला थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र 19 वर्ष।**
4. पंकज पुत्र हर्ष कुमार निवासी राम नगर थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र 19 वर्ष।**

बरामदगीः-

1. 02 समर सेबिल **(चोरी की)**
2. 12 बन्डल बिजली का तार **(चोरी किया गया)**
3. 01 पिकअप गाड़ी (**बिना नम्बर प्लेट)**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 356/2024 धारा 303(2)/317(1) बीएनएस थाना बकेवर जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 357/2024 धारा 303(2)/317(1) बीएनएस थाना बकेवर जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 358/2024 धारा 303(2)/324(3)/317(1) बीएनएस थाना बकेवर जनपद इटावा।

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर, उ0नि0 अलख निरंजन, उ0नि0 किशनपाल सिंह, हे0का0 संजीव कुमार, का0 अनिल कुमार, का0 सोनप्रकाश, का0 दुर्वेश कुमार, का0 चालक विभोर अवस्थी।